प्रेस नोट **08 / 08 / 2024**

पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक शातिर अपराधी आफताब (50 हजार का इनामिया) घायल/गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस तथा एक मो0साईकिल बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस एवं थाना दक्षिणटोला व कोपागंज पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 08.08.2024 को रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रैनी में रैनी बाग के पास से प्रातः लगभग 04:30 बजे पुलिस मुठभेड़ में थाना मुहम्मदाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 87/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक शातिर अपराधी आफताब पुत्र हलीम निवासी सठियांव चौराहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (50 हजार का इनामिया) घायल हो गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर एवं 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक मो0साईकिल पल्सर बरामद कर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में उक्त के दोनों पैर में गोली लगी है जिसका इलाज कराया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. आफताब पुत्र हलीम निवासी सठियांव चौराहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़। (50 हजार का इनामिया)

बरामदगी-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. एक मो0साईकिल पल्सर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिणटोला मय हमराहियान।
उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/एसओजी टीम मय हमराहियान।
उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम।
निरीक्षक नवल किशोर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज मय हमराहियान।

अपराधिक इतिहास आफताब-

1. मु0अ0सं0 174/22 धारा 380,457,411 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
2. मु0अ0सं0 234/22 धारा 380,457,411 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
3. मु0अ0सं0 326/22 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
4. मु0अ0सं0 330/22 धारा 380,454,411,413,414 भादवि थाना कोतवाली मऊ।

5. मु0अ0सं0 333/22 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
6. मु0अ0सं0 334/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली मऊ।
7. मु0अ0सं0 368/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मऊ।
8. मु0अ0सं0 64/22 धारा 380,411 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
9. मु0अ0सं0 98/22 धारा 380,411 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
10. मु0अ0सं0 377/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
11. मु0अ0सं0 410/23 धारा 380,357,411,413,414 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
12. मु0अ0सं0 435/23 धारा 380,411,413,414 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
13. मु0अ0सं0 437/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
14. मु0अ0सं0 87/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व ₹12,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 08-08-2024 को मु0अ0सं0 98/2016 धारा 498ए,304बी भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील चौहान पुत्र रामलखन चौहान निवासी मिर्जापुर जलालपुर थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹12,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा ।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी मामले में 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व ₹25,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश एससी/एसटी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 08-08-2024 को मु0अ0सं0 310/2019 धारा 366,376 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्त बाला चौहान पुत्र रामवृक्ष चौहान निवासी पुराघाट थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 05 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा ।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश सिंह , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखंसी का सराहनीय योगदान रहा ।

<u>03 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर शेखअहमदपुर के पास से मु0अ0सं0 190/24 धारा 363,366,419,420,467,468,471,372,373,120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण उर्मिला पत्नी पवन व सोनी पत्नी कर्मवीर निवासीगण मलीनबस्ती भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ तथा धन्नाराम पुत्र पुखाराम निवासी देवरिया थाना जैतारन जनपद जयावर राजस्थान, तथा कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त दुलारे पुत्र छोटेलाल निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।